A2
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी -- यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 27/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अभय चौधरी आत्मज श्री सिद्धकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां. तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. श्रीमती दयावन्ती धर्मपत्नी श्री सिद्धकुमार, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदिका

बनाम

1. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.
2. श्रीमती विजयलक्ष्मी धर्मपत्नी श्री भजनलाल, जाट, चक 1 एच बड़ा मदेरां तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री तेजासिंह (आवेदकगण)
श्री विरेन्द्र सिहाग (अनावेदक–1)

दिनांक 16 मई, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 1 एच बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 46 किला नम्बर 1, 2, 8 से 14, किला नम्बर 16 से 25 कुल 3.640 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 11 से 19 की 2.405 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 4 5, 13, 18, 23 की 1.075 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 3 से 13 से 18, किला नम्बर 23 से 25 की 3.720 एवं मुरब्बा नम्बर 64/19 में 0.050 हैक्टर खाल कुल 11.11 हैक्टर कृषि भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त खाता में दर्ज है. आवेदिका संख्या 2 के पति वादी संख्या 1 के पिता श्री सिद्धकुमार के नाम से चक 2 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर 16 से 25 की 2.479 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जिनकी मृत्योपरान्त उनके पुत्र एवं धर्मपत्नी (वादी संख्या 1 व 2) ही चूंकि जायज वारिसान हैं, जिनके नाम पर ही राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज होनी चाहिये थी. श्री सिद्धकुमार की मृत्योपरान्त वादीगण अभिलेखीय खातेदार बन गये किन्तु नामान्तरकरण दिनांक 20 फरवरी, 2017 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज किया गया जो कि अवैद्य एवं शून्य है. इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व अधिकारों की घोषणा करवाकर चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 की कृषि भूमि की अपने नाम पर डिक्री जारी करवाकर अपने खातेदारी अधिकारों की घोणा करवाने के अधिकारी हैं. चक 1 एच बडा व चक 2 एच बडा स्थिति कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है. अनावेदक संख्या 2 काफी वृद्व हैं जिन्हें कुछ असामाजिक तत्व

1

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/3

अपने साथ ले गये तथा बहकाकर भूमि को विक्रय एवं खुर्दबुर्द करने में प्रयासरत हैं जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा संयुक्त खाता में दर्ज है जिसमें वादीगण का जन्म से अधिकार है इसलिये भूमि का जब तक विभाजन व अधिकारों की घोषणा नहीं होती तब तक प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी भी तरीका से हस्तान्तरित न करें. यदि वाद के दौरान कृषि भूमि अन्तरित अथवा खुर्दबुर्द हो जाती है तो आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ साथ वादपत्र का उद्देश्य भी समाप्त हो जायेगा. ऐसी स्थिति में, आवेदकगण, अनावेदकगण के विरूद्व वादपत्र के लम्बनकाल में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि जब तक भूमि का विभाजन एवं अधिकारों की घोषणा नही हो जाती तब तक प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा अन्य किसी भी तरीका से अन्तरित एवं खुर्दबुर्द करने से निषिद्व रहें. प्रथमदृष्टया वाद आवेदकगण के पक्ष में सिद्व है, सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में ही साबित है. आवेदकगण अभिलेखीय खातेदार हैं तथा श्री सिद्वकुमार के वारिसान हैं, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. ऐसी स्थिति में, अनावेदकगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायहित में आवश्यक एवं उचित है. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा चक 1 एच बड़ा एवं चक 2 एच बड़ा स्थिति प्रश्नगत कृषि भूमि के विभाजन से पूर्व, अनावेदकगण बंधक, विकय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व रहने एवं मौका की स्थिति यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.विविध अपील संख्या 1392/2007 शीर्षक श्रीमती दयावन्ती बनाम सिद्वकुमार में पारित आदेश दिनांक 28 मार्च, 2017 की चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज एवं अनावेदक संख्या 2 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

अनावेदक संख्या 1 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 7 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रकरण आपसी विवाद का है, यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो राज्य सरकार का कोई अहित नहीं है.

अनावेदक संख्या 2 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 24 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन शीर्षक के वाद के स्वीकार होने की कोई सम्भावना नहीं है. वादपत्र के तथ्यों को आवेदनपत्र के तथ्यों के रूप में नहीं पढा जा सकता. आवेदनपत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवेदकगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता. बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि श्री भजनलाल की स्वःर्जित सम्पत्ति थी जिसमें आवेदकगण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. मृतक श्रीर सिद्वकुमार अनावेदक संख्या 2 का पुत्र था तथा मृतक की माता के तौर पर श्री सिद्वकुमार की कृषि भूमि की अनावेदिका प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारिणी है इसलिये मृतक सिद्वकुमार की कृषि भूमि का नामान्तरकरण आवेदिका संख्या 2 के नाम पर दर्ज किया जाना बिल्कुल

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...) श्रीगंगानगर

A2
4

सही है. वास्तविक स्थिति यह है कि अनावेदिका संख्या 2 का मृतक श्री सिद्धकुमार से दिनांक 15 मार्च, 2007 को माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2013 द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की जा चुकी है. इसलिये आवेदिका संख्या 2 विधि अनुसार मृतक श्री सिद्धकुमार की कृषि भूमि की उतराधिकारिणी के तौर पर कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती. अनावेदिका अपनी स्वेच्छा से स्वतन्त्र रूप से रह रही है, जिसकी ओर से प्रश्नगत कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है. जबकि आवेदकगण बहुत ही झगड़ालु प्रवृति के हैं और अनावेदिका संख्या 2 के विरूद्व किसी भी तरीका से कोई भी स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योकि अनावेदिका संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि की अभिलेखीय खातेदार है और अपनी कृषि भूमि को स्वयं काश्त करवा रही है, इसलिये किसी भी तरीका की निषेधाज्ञा से अनावेदिका संख्या 2 को पाबन्द नहीं किया जा सकता. आवेदकगण का वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है इसलिये आवेदकगण विधि अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अकित किया गया कि आवेदनपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि को पैतृक सम्पत्ति होने के कारण आवेदकगण द्वारा अपना हक व हिस्सा की घोषणा चाही गयी है जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि मृतक श्री भजनलाल की स्वःर्जित कृषि भूमि थी इसलिये आवेदकगण का प्रश्नगत कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. ऐसी स्थिति में, वाद का मुख्य आधार ही गलत होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदिका संख्या 2 श्रीमती दयावन्ती का मृतक श्री सिद्धकुमार से उसके जीवनकाल में ही दिनांक 15 मार्च, 2007 को माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 119/2003 द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री जारी की जा चुकी है. इसलिये आवेदिका सेख्या 2 का मृतक श्री सिद्धकुमार अथवा मृतक श्री भजनलाल की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कानूनन हक व हिस्सा नहीं बनता है. आवेदकगण सही उद्देश्य से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये और आवेदकगण द्वारा वादपत्र एवं आवेदनपत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है. मृतक श्री भजनलाल एवं अनावेदिका संख्या 2 एवं श्री सिद्धकुमार के अतिरिक्त एक अन्य पुत्र श्री शिवकुमार भी था जो अविवाहित एवं निस्सन्तान ही स्वर्गवास हो गया था इसलिये उसके हिस्सा की कृषि भूमि की अनावेदिका संख्या 2 प्रथम श्रेणी की अकेली वारिस है इसलिये उसे हिस्सा की कृषि भूमि कानूनन सही तौर पर अनावेदिका संख्या 2 प्राप्त करने की अधिकारिणी है. आवेदकगण द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नही किये गये. आवेदकगण का वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है इसलिये राजस्व कानून एवं माननीय राजस्व मण्डल के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कानूनन उनके हक में कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. अनावेदिका संख्या 2 अभिलेखीय खातेदार है इसलिये अनावेदिका संख्या 2 के विरूद्व किसी भी आश्य की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. आवेदकगण द्वारा अनावेदिका संख्या 2 को तंग व परेशान करने के लिये ही प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. वर्णित कृषि भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं है

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

इसलिय वादपत्र ही पोषणीय नहीं है. इसलिये आवेदनपत्र के परिदृश्य किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 98, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 280, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 111, चक 1 एच बड़ा के नामान्तरकरण संख्या 108 एवं माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 119/2003 शीर्षक सिद्वकुमार बनाम श्रीमती दयावन्ती में पारित निर्णय दिनांक 15 मार्च, 2007 की चित्रित प्रति संलंग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

प्रस्तुत तथ्यो एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार अनावेदिका संख्या 2 प्रश्नगत कृषि भूमि की अभिलेखीय खातेदार है तथा चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 70/60 मुरब्बा नम्बर 23 किला नम्बर16 से 25 की 2.479 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 24 किला नम्बर 16, 22 से 25 की 1.265 हैक्टर कुल 3.795 हैक्टर कृषि भूमि के किसी भी भाग पर आवेदकगण का कब्जा नहीं है. विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार अभिलेखीय खातेदार के विरूद्व किसी भी आश्य की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति के बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्व नहीं पाये जाते हैं.

अतः आवेदनपत्र अस्वीकार किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष कैम्प न्यायालय– चक 18 जी.जी. में आज दिनांक 16 मई, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर